

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिन्नु रांची।

विषय:- पथ प्रमण्डल, लातेहार अन्तर्गत "कुटमु गारु महुआडांर पथ के चैनेज 77.315 कि0मी0 में अवस्थित राजडंडा नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य (पहुँच पथ निर्माण, Plantation एवं भू-अर्जन सहित)" हेतु रू0 4,31,89,200/- (चार करोड़ एकतीस लाख नवासी हजार दो सौ रू0) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:- उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू0 4,31,89,200/- (चार करोड़ एकतीस लाख नवासी हजार दो सौ रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पथ निर्माण विभाग अधीनस्थ कुटमु गारु महुआडांर पथ के चैनेज 77.315 कि0मी0 में अवस्थित राजडंडा नदी पर अवस्थित संकीर्ण एवं क्षतिग्रस्त पुराने पुल के स्थान पर High level Bridge (पहुँच पथ निर्माण, Plantation एवं भू-अर्जन सहित) के निर्माण किया जाएगा। राजडंडा नदी पर पूर्व से अवस्थित पुल पुराना, संकीर्ण एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है। नये उच्चस्तरीय पुल के निर्माण होने से all weather connectivity स्थापित होने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से वर्तमान traffic bottleneck eliminate हो जायेगा। फलस्वरूप वाहनों का आवागमन सुगम एवं सुरक्षित होगा।
3. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष- "मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-101-सेतु, उप शीर्ष-03-पुल, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, लातेहार होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, लातेहार से की जायेगी।
5. इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगा:-

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
2026-27	रू0 215.946 लाख	50%
2027-28	रू0 215.946 लाख	50%
6. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगे।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
8. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
9. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8/9/26

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/07-योजना-41/2026 - 4110(5)

दिनांक- 29/09/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (याता0) पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, डाल्टेनगंज/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।
3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।
4. मुख्य अभियंता (या.) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह, अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

R/wmm
29/09/2026

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/07-योजना-41/2026 - 4110(5)

दिनांक- 29/09/2026

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर/ अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, लातेहार/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव (प्र0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अण्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता (मु0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा-12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R/wmm
29/09/2026

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/07-योजना-41/2026 - 4110(5)

दिनांक- 29/09/2026

प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R/wmm
29/09/2026

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/07-योजना-41/2026 -

4110(5)

दिनांक- 29/09/2026

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई-मेल (E-mail) से भेजने एवं ई-प्रोक्वोरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वेबसाइट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

R/wmm
29/09/2026

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।